अनुदान संख्या 38 - व्यय विभाग
GRANT No. 38–DEPARTMENT OF EXPENDITURE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	24,01,00	25,21,00	24,65,24	–55,76
पूरक	Supplementary	1,20,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				11,79

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (55.76 लाख रु.) फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 120.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 46 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थी।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (Rs.55.76 lakhs) constituted 46 percent of the supplementary grant of Rs.120.00 lakhs obtained in February, 2004 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Saving occurred under the following major head :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय-सामान्य सेवा	Major Head "2052" Secretariat-General Services				
मू.	O.	2133.00	2261.71	2210.81	–50.90
पू.	S.	120.00			
पु.	R.	8.71			

(I) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - व्यय विभाग" के अंतर्गत 2133.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 120.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2253.00 लाख रु. कर दिया गया जो, यद्यपि, शहरी कार्य और गरीबी

(I) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Expenditure" - the original provision of Rs.2133.00 lakhs was augmented to Rs.2253.00 lakhs by obtianing supplementary grant of Rs.120.00 lakhs which, however, remained

निवारण मंत्रालय द्वारा लोकनायक भवन के संबंध में किराएदारी विलेख निष्पादित किए जाने और विभाग में कुछ रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण 42.19 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

unutilised to the extent of Rs.42.19 lakhs - due to execution of tenancy deed in respect of Lok Nayak Bhawan by the Ministry of Urban Affairs and Poverty Alleviation and non-filling up of some vacant posts in the Department.